न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्यासित– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49/23	31.03.2023	16.07.2025

उनवान

1. बीना देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति जाटव सा0 न्यू बस्ती देहली रोड दिवाकरी अलवर जिला अलवर राज0। :–वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश वर्मा पुत्र छोटेलाल जाति जाटव
2. गंगाधर पुत्र मुरली जाति जाटव
3. छोटेलाल पुत्र लीला जाति जाटव
4. जगराम पुत्र मुरली जाति जाटव
5. मौजा पत्नि मुरली जाति जाटव
6. रेशम पुत्री मुरली जाति जाटव
7. हरप्यारी पुत्री मुरली जाति जाटव निवासीयान सिवाना तह0 किशनगढबास
8. सुरेशचन्द पुत्र रूपचन्द जाति जाटव निवासी बेलाका तहसील व जिला अलवर।
9. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई
दवामी जेर दफा 53,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थितिः– वादीया की ओर से श्री दमन कुमार यादव वकील।
प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

पर्चाडिकी

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिकी किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत,जाति, निवास	ख०न०	रकबा (हे०में)	किस्म	लगान
1.	सुरेशचन्द पुत्र रूपचन्द हि0 3/4 जाति जाटव सा0 बेलाका तह0 व जिला अलवर खातेदार, गंगाधर पुत्र मुरली, जगराम पुत्र मुरली, रेशम पुत्री मुरली, हरप्यारी पुत्री मुरली, मौजा पत्नी मुरली हि0 1/4 स0भा0 जाटव सा0 देह गैर–खातेदार अ0वि0 पट्टेदार	422 /1	0.02	बारानी ए	0.17
2.	बीना देवी पत्नी सुरेश कुमार हि0 पूर्ण जाति जाटव सा0 न्यू बस्ती देहली रोड दिवाकरी अलवर खातेदार	422 /2	0.105	बारानी ए	0.91
3.	ओमप्रकाश वर्मा पुत्र छोटेलाल हि0 22/69 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रोहताश, ओमप्रकाश वर्मा, राकेश, कमल पुत्रान छोटेलाल, सीमादेवी, कमलेश पुत्रीयान छोटेलाल, लज्जा देवी पत्नी छोटेलाल हि0 47/69 स0भा0 जाति जाटव सा0 देह गैर खातेदार अ0वि0 पट्टेदार	422 /3	0.345	बारानी ए	3

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा डिकी का जुज रहेगा, पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्यासित:– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49 / 23	31.03.2023	16.07.2025

उनवान

1. बीना देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति जाटव सा0 न्यू बस्ती देहली रोड दिवाकरी अलवर जिला अलवर राज0। :–वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश वर्मा पुत्र छोटेलाल जाति जाटव
2. गंगाधर पुत्र मुरली जाति जाटव
3. छोटेलाल पुत्र लीला जाति जाटव
4. जगराम पुत्र मुरली जाति जाटव
5. मौजा पत्नि मुरली जाति जाटव
6. रेशम पुत्री मुरली जाति जाटव
7. हरप्यारी पुत्री मुरली जाति जाटव निवासीयान सिवाना तह0 किशनगढबास
8. सुरेशचन्द पुत्र रूपचन्द जाति जाटव निवासी बेलाका तहसील व जिला अलवर।
9. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई
दवामी जेर दफा 53,188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति:– वादीया की ओर से श्री दमन कुमार यादव वकील।
प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

आराजी हाल खसरा नं0 422 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 संलग्न है।

विवादित आराजी खसरा नं0 422 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर में मिन वादी का 21 / 94 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी है। तथा राजस्व रिकार्ड में मिन वादी व प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज हिस्सा मुताबिक दर्ज चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी का हम पक्षकारान ने आपसी सहूलियत के हिसाब से बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

हम पक्षकारान के मध्य आज तक कोई कानूनी तकासमा नहीं हुआ है तथा विवादित आराजी शामलात में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कानूनन जब तक विवादित आराजी का वास्तविक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है।

प्रतिवादीगण आये दिन मिन वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है तथा मिन वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का मौके के हिसाब से बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिया तथा आराजी को बेचान करने की धमकी दी। ऐसी सूरत में अब मिन वादी का प्रति0 के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा है इसलिए मिन वादी अपने हिस्से मुताबिक जमाबंदी का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराकर अलग से कुर्रेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने के हकदार है व अलग से दखल प्राप्त करने का हकदार है कि जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावे:—

अ— डिकी तकसीम आराजी बहक वादी विरूद्ध प्रति0 पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 422 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर का 21/94 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर अलग से कुर्रेजात कायम किये जाकर तथा अलग से लगान खाता कायम किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावे।

ब— जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 422 रकबा 0.4700हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनगढबास जिला अलवर से जब्रन वादी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही वादी की बोई हुई व कुदरती पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करे, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे।

स— खर्चा हर्जा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द— दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायात 9 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी को पत्रावली पर सुना गया वकील वादी ने सभी सहकाश्तकारो के हिस्से अनुसार वाद वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास से मुताबिक बाहमी बंटवारा कुर्रे प्रस्ताव तैयार किया जाने का निवेदन किया। वादी वादीया प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई।

वकील वादीया की बहस कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादीया ने प्रस्तुत कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार बंटवारा किया जाकर अंतिम पर्चाडिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीया की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार आराजी खसरा नं0 हाल 422 रकबा 0.4700है0 वाके ग्राम रिवाना तहसील खैरथल जिला हाल खैरथल–तिजारा राज0 पक्षकरान का सहकाश्तकार खातेदारी व गैरखातेदारी का होना अंकित है तथा वादीया द्वारा बहामी विभाजन एवं कब्जे अनुसार तकासमा कराने बाबत् वादपत्र पेश किया था एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में नियमो में उल्लेखित विधि अनुसार पक्षकारान में बंटवारा प्रस्तावित करते हुए विभाजित खसरा नम्बरो का नक्शा तैयार करते हुए पक्षकारान के हिस्से अनुसार दर्शाया गया है तथा उपरोक्त प्रस्ताव पर पक्षकारान के अंगूठा निशान भी अंकित है। जिससे यह तथ्य तो साबित होता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट/बंटवारा नामा तैयार करते समय विधिक त्रुटि एवं कोई तात्विक अनियमितता कारित नहीं की गई है। अतः तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव/कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी–

क्र० सं०	नाम काश्तकार मय वल्दियत,जाति, निवास	ख०न०	रकबा (हे०में)	किस्म	लगान
1.	सुरेशचन्द पुत्र रूपचन्द हि0 3/4 जाति जाटव सा0 बेलाका तह0 व जिला अलवर खातेदार, गंगाधर पुत्र मुरली, जगराम पुत्र मुरली, रेशम पुत्री मुरली, हरप्यारी पुत्री मुरली, मौजा पत्नी मुरली हि0 1/4 सा0भा0 जाटव सा0 देह गैर–खातेदार अ0वि0 पट्टेदार	422 /1	0.02	बारानी ए	0.17

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

2.	बीना देवी पत्नी सुरेश कुमार हि0 पूर्ण जाति जाटव सा0 न्यू बस्ती देहली रोड दिवाकरी अलवर खातेदार	422 /2	0.105	बारानी ए	0.91
3.	ओमप्रकाश वर्मा पुत्र छोटेलाल हि0 22/69 जाति जाटव सा0देह खातेदार, रोहताश, ओमप्रकाश वर्मा, राकेश, कमल पुत्रान छोटेलाल, सीमादेवी, कमलेश पुत्रीयान छोटेलाल, लज्जा देवी पत्नी छोटेलाल हि0 47/69 स0भा0 जाति जाटव सा0 देह गैर खातेदार अ0वि0 पट्टेदार	422 /3	0.345	बारानी ए	3

उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा डिकी का जुज रहेगा, पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner